न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या : 35/2008

घनश्याम पुत्र छोगालाल जाति ब्राहमण निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बारां ....वादी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टा बारां (राज0)
2. देवस्थान विभाग कोटा जरिये सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा
3. मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान श्री मदनमोहन जी जरियें व्यवस्थापक तहसीलदार मांगरोल
4. शांती पुत्री रघुनाथ जाति ब्राहमण निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 11.01.2008

निर्णय दिनांक : 11.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम रामपुरा बडौद तह0 मांगरोल में खसरा नं0 291 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 292 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 296 रकबा 1.50 है0 कुल किता 3 रकबा 2.98 है0 भूमि स्थित है जिसके संम्वत 2044 से 2063 से पूर्व खसरा नं0 185 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नं0 161 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा कुल 18 बीघा 13 बिस्वा थे तथा सं0 2014 से 2023 के भू–प्रबंध के पहले खसरा नं0 155 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नं0 158 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा था। वाद ग्रस्त भूमियां वर्तमान समय में राजस्व कागजात में मंदिर श्री ठाकूर जी महाराज श्री मदनमोहन जी विराजमान सा0 देह के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। वादी ग्रस्त भूमियां सं0 2009 से 2013 व सम्वत 2014 से 2017 की जमाबंदी में छगलनाल, छोगालाल, नाथूलाल व माधोलाल ब्राहमण के कब्जे में चली आ रही थी। एवं सम्वत 2013 से 2016 की जमाबंदी के कालम नं0 4 में खातेदार के स्थान पर छगनलाल बेटा किशनलाल 1/2 ही जीवित है बाकि सब लाऔलाद फौत हो चुके है। प्रतिवादी कम 4 शांती बाई की शादी करदी है तथा वह अपने ससुराल में रहती है तथा भूमियों में कोई हिस्सा नही लेना चाहती है इस कारण केवल मात्र वादी ही एक मात्र वारिस बचता है इस कारण वादी की ओर से यह वाद पेश किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमियों पर सं0 2012 से पहले से राजस्थान काश्तकारी कानून 15.10.1955 के दिन भी वादग्रस्त भूमियों पर वादी का कब्जा था इस कारण वादग्रस्त भूमियां वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज होना चाहिए तथा वादी का सं0 2012 से आज दिन तक लगाातार कब्जा चला आ रहा है इस कारण वादी के हक मुखालपाना प्राप्त हो गया है इस कारण वादी वादग्रस्त भूमियों का खातेदार कृषक घोषित होने

[illegible] भूमियों पर वादी का सं0 2012 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु [illegible] ठाकुरजी के नाम गलत रूप से दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादी को [illegible] चाहते है तथा मुनाफा काश्त से बोली लगाना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार [illegible] नहीं है दिनांक 20.06.2007 को भी प्रतिवादीगण ने बोली लगाकर धमकी दी इस कारण वादी [illegible] प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी व नालिशी है। अतः निवेदन है कि वादी को उक्त वर्णित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी का नाम बहैसियत खातेदार कृषक राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जायें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जायें कि उक्त वर्णित आराजी में वादी को शांती पूर्वक काश्त करता रहने दे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.01.2008 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 4 को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। बावजूद सूचना प्रतिवादी कम 2 व 4 अनुपस्थित होने से प्रतिवादी कम 2 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो की राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा अपने पत्र कमांक/न्याय/2015/12 दिनांक 22.05.2015 से जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसारः–

01. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि रामपुरिया बडौद में स्वीकार है।
02. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 2 स्वीकार है।
03. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 3 स्वीकार है। वर्तमान में भूमि श्री मदनमोहन जी महाराज ठाकुरजी के खाते दर्ज है।
04. माफी मन्दिर की भूमि देवस्थान विभाग की है तथा उक्त भूमि की देखभाल वर्तमान में पुजारी कर रहा है।
05. वर्तमान मे भूमि माफभ मन्दिर श्री ठाकुजी मदनमोहन जी महाराज के नाम दर्ज है तथा पुजारी में छगनलाल, छोगालाल, नाथूलाल वगै0 का नाम दर्ज था।
06. राज्य सरकार के आदेश की पालना में माफी मन्दिर की भूमियां ठाकुरजी महाराज के नाम दर्ज कर पुजारी के नाम खाते से हटा दिये गये है।
07. पुजारी की वशांवली के अनुसार वारिस का नाम दर्ज कराना चाहता है किन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार पुजारी का नाम दर्ज नही हो सकता है
08. वादग्रस्त भूमि मन्दिर के खाते दर्ज है तथा मन्दिर का रखरखाव उसकी आय से करता है।

[illegible] भूमि माफी मन्दिर की भूमि है जिसको भूमिधारी की हैसियत व राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त भूमियों की कमेटी में अध्यक्ष बनाया हुआ है इसलिए भूमि कमेटी के अनुसार देख रखाव किया जाता है।

10. न्यायालय से संबंधित है।

11. न्यायालय से संबंधित है।

12. सही है।

13. न्यायालय से संबंधित है।

विशेष विवरणः— प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज मदनमोहन जी के खाते दर्ज है मुताबिक काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार रेकार्ड ऑफ रेवेन्यु में खातेदार व गैरखातेदार के अलावा अन्य किस्म का इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत नही है भूमि माफी मन्दिर की है जिसमें पुजारी का नाम अंकित किया जाना न्यायसंगत नही है। विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की है जिसमें मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा जागीर भूमि नही है। अतः वाद वादी सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल जो कि लैण्ड होल्डर है एवं राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जवाब दावा में अंकन किया है कि ग्राम रामपुरा बडौद तह0 मांगरोल में खसरा नं0 291 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 292 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 296 रकबा 1.50 है0 कुल किता 3 रकबा 2.98 है0 भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज मदनमोहन जी के खाते दर्ज है जिसे वादी अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है। परन्तु उक्त आराजी भूमि माफी मन्दिर की है मुताबिक काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार रेकार्ड ऑफ रेवेन्यु में खातेदार व गैरखातेदार के अलावा अन्य किस्म का इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत नही है जिसमें पुजारी का नाम अंकित किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।